

# अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)  
पीठासीन अधिकारी: श्री जितेन्द्र ओझा, R.A.S  
मुकदमा नम्बर : 273/15 (वाद)

कैम्प - वीरघोलिया

1. श्री हेमराज पिता कालू मेघवाल निवासी पीपरोली तह. मावली। .....वादी

बनाम

1. श्रीमती श्यामादेवी पत्नी भंवरलाल निवासी रेवारियों की गुढा तह. गिर्वा के बजाय :- श्रीमती शांता देवी पत्नी श्री दीपक मालवी जाति सालवी निवासी उत्तरी सुन्दरवास उदयपुर।
2. श्री जगन्नाथ पिता कला बलाई निवासी पालवास कलां तह. मावली।
3. श्री उदा उर्फ उदेलाल उर्फ गणेश पिता कना बलाई निवासी पालवासकलां तह. मावली।
4. श्री वाला उर्फ लाला पिता कना बलाई निवासी पालवासकलां तह. मावली।
5. श्री लच्छीया पिता कना बलाई निवासी पालवासकलां तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
7. पटवारी, पटवार हल्का वीरघोलिया तह. मावली।
8. उप पंजीयक, मावली तह. मावली। .....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.06.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा पालवासकलां पटवार हल्का वीरघोलिया की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

| क.स. | नाम खातेदार  | आ.न.    | रकबा   | लगान |
|------|--|---------|--------|------|
| 1    | शांतादेवी पत्नी दीपक मालवी जाति सालवी निवासी उत्तरी सुन्दरवास तह. गिर्वा | 763 मी. | 4.00   | 1.20 |
|      |  | 764     | 1.00   | 0.31 |
|      |  | 778     | 3.05   | 4.28 |
|      | योग  | किता 3  | 8.05   | 5.79 |
| 2    | हेमराज पिता कालू मेघवाल सा. देह पिपरोली                                  | 763/1   | 1.00   | 0.30 |
|      |  | 767/1   | 2.03   | 5.50 |
|      |  | 768     | 3.13   | 1.11 |
|      | योग  | किता 3  | 6.16   | 6.91 |
| 3    | उदेलाल उर्फ गणेशलाल पिता कना बलाई सा. देह                                | 766     | 0.01   | 0.37 |
|      |  | 767 मी. | 1.09   | 1.00 |
|      |  | योग     | किता 2 | 1.10 |
| 4    | जगन्नाथ, उदा वाला लच्छीया पिता कना बलाई सा. देह                          | 763/2   | 1.02   | 0.33 |
|      |  | 764/1   | 2.07   | 0.79 |
|      |  | योग     | किता 2 | 3.09 |

नोट-उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 13.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(जितेन्द्र ओझा)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर मावली